मवेशियों का आतंक काल बनकर घूम रहे आवारा मवेशी, गहरी नींद में सो रही हाका गैंग, निर्दोष जानों की आखिर कौन चुकाएगा कीमत?

दूध व्यवसायी की मौत के बाद गलगला चौक में फिर भिड़े दो सांड



नवभारत,जबलपुर। मंगलवार दोपहर को गलगला चौक में जिसने दो सांडों को लड़ते देखा उसने नगर निगम की हाका गैंग को जमकर कोसा। इसकी मुख्य वजह आज के दिन ही सुबह सुबह करीब 8 बजे हनुमानताल से भानतलैया जाने वाले खेरमाई मंदिर मार्ग में सांड के हमले से टेमरभीटा निवासी दूध व्यवसायी रवि गुप्ता की मौत होना रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने नजारा देखते ही नगर निगम की हाका गैंग को कटघरे में खड़ा किया और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हाका गैंग के जिम्मेदार अब तो गहरी नींद से जाग जाओ, क्या सांड के हमले से जबलपुर में और मौतें देखनी है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को गलगला चौक में एक ओर जहां राहगीर अपने अपने वाहनों से सड़क से होकर गुजर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ दो भारी भरकम सांड गलगला चौक में लड़ते नजर आए। गनीमत रही कि किसी राहगीर को इन सांडों ने अपनी चपेट में नहीं लिया नहीं तो जबलपुर के इतिहास में मंगलवार का दिन एक ऐसा इतिहास लिखता जिसकी कल्पना करने से ही मन बहुत विचलित होगा। सांडों की लड़ाई के बीच में फिर स्थानीय दुकानदारों ने हस्तक्षेप किया और डंडे से हमला कर उन्हें वहां से भगा दिया लेकिन मौत बनकर सड़कों पर घूम रहे ये मवेशी अभी भी निर्दोष जानों के लिए काल बने हुए हैं। सवाल ये है कि नगर निगम की हाका गैंग कब सड़क पर सक्रिय होगी और सड़कों पर मौजूद आवारा मवेशियों को उनके व्यवस्थित स्थानों तक पहुंचाएगी।

उधर हनुमानताल इलाके में सांड के हमले से हुई दूध व्यवसायी की मौत की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है जबकि एक घर का चिराग बुझकर शांत हो गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण जबलपुर की सडक़ों पर घूम रहे आवारा बैल ने एक और हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। हनुमानताल थाना अंतर्गत खेरमाई मंदिर के गेट नंबर 1 के सामने में एक आवारा बैल ने एक बुजुर्ग को इस बेरहमी से मौत के घाट उतारा कि देखने वालों की रूह कांप गई। इस दिल दहला देने वाले पूरे घटनाक्रम का मंगलवार को सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हनुमानताल थाना प्रभारी सुभाषचंद्र बघेल से मिली जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा 6 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे खेरमाई मंदिर के गेट नंबर 1 के सामने हुआ। टेमरभीटा के रहने वाले रवि यादव सुबह दूध लेने अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सडक़ पर घूम रहे एक भारी-भरकम आवारा बैल ने उन पर अचानक हमला कर दिया। बैल ने रवि यादव को संभलने तक का मौका नहीं दिया। उसने सींगों से उठाकर रवि को एक बार नहीं, बल्कि लगातार तीन बार हवा में उछाला और सडक़ पर बेरहमी से पटका। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

...तो सडक़ों पर यूं ही बेकसूरों का लहू बहता रहेगा

शहर की व्यस्त सडक़ों , राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर आसपास जिलों नरसिंहपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी समेत अन्य जिलों पर जहां देखो वहां इन दिनों आवारा मवेशियों का आतंक चरम पर है। स्थिति यह हो चुकी है सडक़ों के बीचो-बीच पशुओं के झुंड डेरा जमाए बैठे रहते है आए दिन इन मवेशियों की वजह से भयानक सडक़ हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और कई परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। इतना ही नहीं यह मवेशी कई बार हमलावर भी हो जाते है। जिसमें जान तक चली जाती है इसके बावजूद, नगर निगम और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण शहर की तंग गलियां हो या हाईवे हर तरफ लापरवाही का आलम है। हाका गैंग और आवारा पशु पकडने वाले दस्ते पूरी तरह गायब है। जबलपुर में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें नागरिकों की जान गई है। अगर जिम्मेदार अधिकारी अब भी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे, तो सडक़ों पर यूं ही बेकसूर लोगों का लहू बहता रहेगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विभाग के अफसर होंगे।

जबलपुर की बेटी बनीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायाधीश



जबलपुर। जबलपुर की बेटी सुषमा सावंत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से शहर का गौरव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार, 8 सितंबर को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 18 अगस्त 2026 की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति हुई है। सुषमा सावंत के साथ संतोष शर्मा और सुधीर कुमार को भी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तीनों न्यायाधीश 10 सितंबर को बिलासपुर में शपथ ग्रहण करेंगे। 24 नवंबर 1969 को छिंदवाड़ा में जन्मीं सुषमा सावंत का जबलपुर से गहरा नाता है। वे शहर के सुपरिचित कृपा शंकर वर्मा की पुत्री हैं और उनकी प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी पढ़ाई जबलपुर में हुई। नर्मदा रोड स्थित जॉनसन गर्ल्स स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने एमएच कॉलेज से बीएससी और हितकारनी कॉलेज से विधि स्नातक की उपाधि हासिल की। वर्ष 1994 में सिविल जज के रूप में न्यायिक सेवा में चयनित होने के बाद उन्होंने महासमुंद, बिलासपुर और राजनांदगांव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित कई महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। वे बिलासपुर कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की निदेशक भी रह चुकी हैं। जबलपुर की गलियों से न्यायिक सेवा के सर्वोच्च पड़ाव तक पहुंची सुषमा सावंत की उपलब्धि शहर के लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय है।

दो पेट्रोल पंपों में छापा, नोजल से पेट्रोल आपूर्ति की मात्रा जांची

राजस्व, नापतौल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कार्यवाही



जबलपुर। राजस्व, नापतौल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो पेट्रोल पंपो में छापेमार कार्रवाई कर दी ।जिससे हड़कंप मच गया । नोजल से पेट्रोल आपूर्ति की मात्रा जांची गई। तहसीलदार आधारताल रंजना यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रद्दी चौकी स्थित रज्जब अली सुलेमान जी पेट्रोल पम्प और आधारताल चौक के समीप स्थित ओम पेट्रोलियम के नोजल से पेट्रोल आपूर्ति की मात्रा जांची गई। इसी प्रकार सिंह मिठाई भंडार के निरीक्षण के दौरान परीक्षण के लिए मिठाई के तथा बल्हारा डेयरी से दूध के सेम्पल लिए गये। निरीक्षण की कार्यवाही नाप तौल निरीक्षक आर के ढोके एवं सचिन कुमार सोनी तथा खाद्य सुरक्षा प्रशासन से खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा द्वारा की गई।

प्रमोशन में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा न टूटे : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के किसी भी शासकीय विभाग में पदोन्नति के दौरान आरक्षण की 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सीधे राज्य के मुख्य सचिव को सौंपी गई है।

हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इंदिरा साहनी मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार कर्मचारी का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति मिलना अनिवार्य हो। पदोन्नति के लिए विचार का अवसर निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही दिया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने तर्क दिया कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में लगातार पदोन्नतियां कर रही है। एक बार पदोन्नति हो जाने के बाद कर्मचारियों को मूल पद पर वापस भेजना अत्यंत कठिन हो जाता है, जिससे याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में हुई पदोन्नतियों के मामलों में कानून और न्यायालयीन व्यवस्थाओं के बावजूद किसी कर्मचारी को मूल पद पर वापस नहीं भेजा गया है। इस संबंध में 2016 के आरबी राय मामले का भी उल्लेख किया गया।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता प्रकरण में 20 अगस्त 2026 को पारित आदेश का हवाला दिया। बताया गया कि शीर्ष अदालत ने संबंधित अपीलों को तीन माह के भीतर उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग की ओर से यह भी आपत्ति उठाई गई कि कई विभागों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने और मेरिट के आधार पर चयनित कर्मचारियों की उपलब्धता के बावजूद आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल, वर्ष 2025 के पदोन्नति नियमों और 50 प्रतिशत सीमा से जुड़े विवाद पर हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आना बाकी है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित की गई है। तब तक मुख्य सचिव की निगरानी में हाई कोर्ट की यह अंतरिम व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

अधिवक्ता परिषद चुनाव में 89 प्रत्याशी बाहर, सात ने पार किया कोटा

जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन-2026 की द्वितीय चरण की मतगणना के 21वें दिन दो और प्रत्याशियों का एलिमिनेशन हो गया। इनमें संदीप कुमार पटेल (रीवा) की शेष काउंटिंग पूरी हुई, जबकि निमेश पाठक (इंदौर) भी चुनाव से बाहर हो गए। कुल 122 प्रत्याशियों में अब तक 89 प्रत्याशियों का एलिमिनेशन हो चुका है। निर्धारित कोटा पार करने वाले सात प्रत्याशियों राकेश सिंह भदौरिया, अखिलेश कुमार सक्सेना, आर.के. सिंह सैनी, विवेक सिंह, संदीप मेहता, नित्यानंद मिश्रा और हितोषी जय हार्डिया को निर्वाचित माना जाएगा। मतगणना में पुरुष प्रत्याशियों में नरेन्द्र कुमार जैन (इंदौर), गौरव मिश्रा और जितेन्द्र कुमार शर्मा (ग्वालियर), मनीष तिवारी (जबलपुर) तथा अखंड प्रताप सिंह (रीवा) बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं महिला प्रत्याशियों में अन्नू पटेल (सिंगरौली) और प्रवीण तिवारी (रीवा) मैदान में हैं। चुनाव प्रक्रिया के अनुसार एलिमिनेशन के बावजूद आरक्षण के तहत अंतिम पांच महिला प्रत्याशियों की श्रेणी में आने वाली महिला प्रत्याशी का अंतिम परिणाम में चयन किया जाएगा। मतगणना आगे बढ़ने के साथ अब मुकाबला निर्णायक दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है।

प्रोबेशन में 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने का नियम निरस्त

25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त हजारों कर्मचारियों को पूरे वेतन का हक



जबलपुर । हाईकोर्ट ने प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की राज्य सरकार की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कहा कि जब कर्मचारी से पूरा काम लिया जा रहा है तो उसे भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित पूरा वेतन देने से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त संबंधित कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि के काम के लिए पूर्ण वेतन देने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि पीएससी के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को प्रारंभ से पूरा वेतन और ईएसबी के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को कम वेतन देना समानता के अधिकार के विपरीत है। यह संविधान के अनुच्छेद 12 और 14 का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में ईएसबी के माध्यम से होने वाली भर्तियों में चार वर्ष की प्रोबेशन अवधि निर्धारित की थी। इसके तहत पहले वर्ष 70, दूसरे वर्ष 80, तीसरे वर्ष 90 और चौथे वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान किया गया था। सरकार ने यह व्यवस्था 25 नवंबर 2019 के मेमो के जरिए लागू की थी। कोर्ट ने कहा कि मंत्रिपरिषद का ऐसा निर्णय, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, कानून की कसौटी पर टिकने योग्य नहीं है। भर्ती नियमों में निर्धारित पे-स्केल से कम वेतन देने का प्रविधान नहीं किया जा सकता।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार या गलत आचरण साबित होने पर नियमानुसार दंड दिया जा सकता है, लेकिन निर्धारित पे-स्केल से नीचे वेतन नहीं किया जा सकता। नियमों के तहत इंक्रीमेंट रोकने या कर्मचारी को निचले पे-स्केल में भेजने जैसी कार्रवाई संभव है, लेकिन न्यूनतम निर्धारित वेतन से कम भुगतान का प्रविधान नहीं है। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश में 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

आंगन में घूम रहा था सात फीट लंबा सांप

जबलपुर। भेड़ाघाट थानांतर्गत भेड़ाघाट स्टेशन रोड के पास रहने वाले प्रकाश चंद जैन के घर के आंगन में दोपहर दो बजे एक सात फीट लंबा सांप घूम रहा था, जिसे देख कर वहां अफरातफरी मच गई।

श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जबलपुर
ESTD 2001
आई.टी.आई. के पास, माढ़ोताल, जबलपुर (म.प्र.) 482002

श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जबलपुर कॉलेज कोड-28 के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक चयन हेतु, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति एवं 2 फोटोग्राफ सहित ओवदन पत्र आमंत्रित करता है, आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के अंदर।

क्रं.	पद	विषय	पदों की संख्या	योग्यता एवं अनुभव
1	सहायक प्राध्यापक	विधि (लॉ)	15	UGC के मापदंडों के अनुसार
2	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	02	
3	सहायक प्राध्यापक	इतिहास	02	
4	सहायक प्राध्यापक	मैनेजमेन्ट	02	
5	सहायक प्राध्यापक	कॉमर्स	02	

नोट:- 1. उपरोक्त पदों के चयन हेतु UGC के नियम प्रभावशील होंगे।
2. आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य के उपरोक्त पते पर स्वयं उपस्थित होकर, डाक द्वारा अथवा ई-मेल - sriljabalpur@gmail.com पर अंतिम तिथि के पूर्व भेज सकते हैं।
3. अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय के इस नं. 8770097601 पर संपर्क कर सकते हैं।

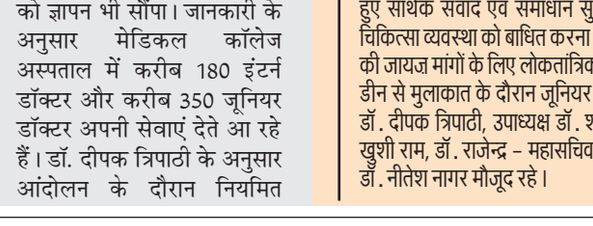
प्राचार्य

सजा काटने पर भी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील समाप्त नहीं

जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि किसी दोषी द्वारा सजा काट लेने मात्र से उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील समाप्त या निष्फल नहीं हो जाती। कोर्ट ने वर्ष 2012 में समाप्त मान ली गई आपराधिक अपील को पुनः उसके मूल क्रमांक पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व जितेंद्र गर्ग ने पक्ष रखा। जबलपुर निवासी प्रदीप महदेले ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर 17 जुलाई 2012 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की थी।

खस्ताहाल सड़कों के विरोध में कांग्रेस पार्षद ने किया प्रदर्शन

बल्देवबाग से बड़ा फुहारा तक जर्जर सड़क को लेकर जताई चिंता



नवभारत,जबलपुर। नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर की खस्ताहाल सड़कों एवं नगर निगम की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बल्देवबाग से बड़ा फुहारा तक जर्जर सड़क के विरोध में आवाज उठाई।

कांग्रेस पार्षद दल ने कहा कि शहर में सड़कों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जगह,जगह जर्जर सड़कें और गड्ढों के कारण आम नागरिकों, वाहन चालकों एवं राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सफाई, पानी, यातायात सहित मूलभूत सुविधाओं के मामले में नगर निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। विशेष रूप से उत्तर मध्य विधानसभा महात्मा गांधी वार्ड के अंतर्गत विगत सात से आठ माह पूर्व बने बल्देव बाग से गल्ला मंडी होते हुए बड़ा फुहारा तक की जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने पाण्डे चौक में विरोध दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार निगम प्रशासन की उदासीनता और जनता को हो रही परेशानियों के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल के सभी पार्षद एवं कार्यकर्ता बलदेव बाग स्थित डिसल्वा स्कूल के पास एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए जनसमस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्षद दल, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा महात्मा गांधी वार्ड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

गांजा तस्कर को छह साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

जबलपुर । विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में जबेरा निवासी सौरभ झारिया को छह वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 11 जनवरी 2021 को बेलबाग पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बैग में गांजा लेकर घोड़ा अस्पताल की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 14 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एजीपी अरविंद जैन ने तर्क प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और छह साल के कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।



हड़ताल नियमित ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिक ओटी कार्य का किया जाएगा बहिष्कार, फिलहाल अभी चालू रहेंगीं इमरजेंसी सेवाएं

काली पट्टी बांधकर दी सेवाएं, आज से जूडा का अनिश्चितकालीन आंदोलन



नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश के इंटर्न डॉक्टरों की लंबित एवं मांगों के समर्थन में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जबलपुर द्वारा आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। जूडा एसोशिएशन जबलपुर के डॉ. दीपक त्रिपाठी ने नवभारत को बताया कि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन 9 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे से एनएससीबी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के जूनियर डॉक्टर्स द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। विदित हो कि इंटर्न डॉक्टरों की मांगों के संबंध में शासन एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक कोई संतोषजनक एवं ठोस समाधान नहीं किए जाने और हाल ही में भोपाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान वॉटर कैनन एवं लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई किए जाने से प्रदेश के चिकित्सा समुदाय में गंभीर चिंता एवं रोष व्याप्त है। मंगलवार को जूनियर डॉक्टर्स ने 9 सितंबर से होने वाली हड़ताल के संबंध में डीन डॉ. नवनीत सक्सेना को ज्ञापन भी सौंपा। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 180 इंटर्न डॉक्टर और करीब 350 जूनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। डॉ. दीपक त्रिपाठी के अनुसार आंदोलन के दौरान नियमित ओपीडी सेवाओं एवं इलेक्टिक ओटी कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाएं जारी रखी जाएंगी, ताकि मरीजों की अत्यावश्यक चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित न हो। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर शासन द्वारा उचित, ठोस एवं संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता।

शासन से सकारात्मक पहल की अपील

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर ने शासन एवं संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर तत्काल सकारात्मक पहल करते हुए सार्थक संवाद एवं समाधान सुनिश्चित करें। हमारा उद्देश्य मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र के युवा डॉक्टरों की जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना है। डीन से मुलाकात के दौरान जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष डॉ. दीपक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डॉ. शशांक शेखर पाण्डेय, डॉ. पारसिंह , डॉ. खुशी राम, डॉ. राजेन्द्र - महासचिव, डॉ. प्रज्ज्वल तिवारी, डॉ. शोभित तिवारी, डॉ. नीतेश नागर मौजूद रहे।



स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57